भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3233

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

एक राष्ट्र एक वेतन दिवस प्रणाली

3233. श्री हेमन्त पाटिल:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री ए.के.पी. चिनराज:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री जी.सेल्वम:
डॉ. भारतीबेन डी.श्याल:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्रीमती क्वीन ओझा:
श्री सोयम बापू राव:
श्री धनुष एम.कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उल्लंघनकर्त्ताओं पर क्या दंड लगाया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा (ओएसएच) कोड के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ओएसएच के कार्यान्वयन के पश्चात्र कामगारों को क्या लाभ मिलता है;

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर कार्य कर रही है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कामगारों को मेडिकल कवरेज के अलावा न्यूनतम पेंशन प्राप्त है; और

(च) यदि हां, तो दी जाने वाली पेंशन का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और सभी क्षेत्रों में कामगारों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): संसद द्वारा यथा पारित मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 17 में सभी कामगारों को मजदूरी का समय से भुगतान करने संबंधी उपबंध की सार्वभौमिक अनुप्रयोज्यता का उल्लेख है। इस उपबंध में दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर, पाक्षिक आधार पर तथा मासिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा का प्रावधान है।

जारी----

(ग) और (घ): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संबंधी संहिता 2019 लोक सभा में 23 जुलाई, 2019 को पुर: स्थापित की गई और तदनुसार इसकी जांच करने के लिए इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया।

(ङ) और (च): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा तथा (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों पर आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान शेयर में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर असंगठित कामगारों को 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान देय है और समान समरूप अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी भुगतान किया जाता है।

*****